



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102025-266860
CG-DL-E-11102025-266860

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 2025/आश्विन 17, 1947

No. 661]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2025/ASVINA 17, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि.745(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (समूह 'क') नियम, 2022 का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।
- ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (समूह 'क') नियम, 2022 में, अनुसूची-III में, क्रम संख्या 8 के सामने, कनिष्ठ समय मान के ड्यूटी पद से संबंधित, स्तम्भ (3) में -

(क) "कार्यपालक निदेशक, स्थापना" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"या प्रबंधन सेवाएं";

(ख) "रेलवे बोर्ड के प्रबंधन सेवाएं निदेशालय में कार्यपालक निदेशक" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"रेलवे बोर्ड के संबंधित उप-संवर्ग में भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के कार्यपालक निदेशक".

[फा. सं. 2022/ई(जी)आरआर/23/1-भाग(2)]

अन्विता सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (राजपत्रित संवर्ग)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उप-खंड-(i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.119 (अ), तारीख 15 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि.627 (अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2025

G.S.R. 745(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendments to the Indian Railway Management Service (Group ‘A’) Rules, 2022, namely:-

1. Short title and commencement:-

- 1) These rules may be called the Indian Railway Management Service (Amendment) Rules, 2025.
- 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railway Management Service (Group ‘A’) Rules, 2022, in Schedule-III, against serial number 8, relating to the Duty post of Junior Time Scale, in column (3)-

(a) after the words, “ Executive Director in Establishment” the following words shall be inserted, namely:-

“or Management Services”;

(b) for the words, “Executive Director in Management Services Directorate of Railway Board”, the following words shall be substituted, namely:-

“Executive Director of the Indian Railway Management Service sub-cadre concerned of Railway Board”.

[F.No. 2022/E(G)RR/23/1-Part(2)]

ANVITA SINHA, Executive Director Establishment (Gazetted Cadre)

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 119(E), dated the 15th February, 2022 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 627(E), dated the 9th Oct, 2024.